न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1.अपील/डिक्री/टी ए/7734/2001/उदयपुर

कमरूलहक पुत्र श्री अब्दुलहक मृतक जरिये वारिसान–

1/1. नजबनिशा बेबा कमरूलहक
1/2. आशिफ पुत्र कमरूलहक
1/3 रूहिना
1/4. सबाना
1/5. मोहिना पुत्रियां कमरूलहक
2. शमसुलहक पुत्र अब्दुलहक
3. अनवारूलहक पुत्र अब्दुलहक

सभी जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मुल्लातलाई, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. कूका
2. जेता
3. हरजी

पुत्रान कन्ना जाति डांगी निवासी नोखा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

4. जग्गा
5. केवला
6. जगन्नाथ

पुत्रान नन्दा जाति डांगी निवासी आकाशवाणी के सामने खेमपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील/डिक्री/टी ए/6131/2010/उदयपुर

1. श्री केवला पिता नन्दा जी डांगी, निवासी डाकनकोटडा, केवडा टोल नाके के सामने, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री जगा पिता नन्दा जी डांगी, निवासी मादडी पुरोहितान, आकाशवाणी के सामने, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री जगन्नाथ पिता नन्दा जी डांगी, निवासी मादडी पुरोहितान, आकाशवाणी के सामने, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

1. श्री कूका पिता कन्ना जी डांगी, निवासी नोखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री जेता पिता कन्ना जी डांगी, निवासी नोखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

3. श्री हरजी पिता कन्ना जी डांगी, निवासी नोखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर
5. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर
6. नजबनिशा बेबा कमालहक
7. आशिफ पुत्र कमालहक
8. रूहिना पुत्री कमालहक
9. शबाना पुत्री कमालहक
10. मोईना पुत्री कमालहक
11. अनवारूलहक पुत्र अब्दुलहक
12. शमशूलहक पुत्र अब्दुलहक
    जाति मुसलमान निवासी मुल्ला तलाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष
श्री नत्थूराम सदस्य

उपस्थित
अपील संख्या/7734/2001

श्री राजेश गौतम अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3
श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 5
श्री एस.एल.बोहरा अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 4,5,6

अपील संख्या/6131/2010

श्री सम्पत लाल बोहरा अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 4 से 5
श्री राजेश गौतम अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 6 से 12

निर्णय

दिनांक : 22.8.2019.

1. अपील संख्या 7734/2001 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर (संक्षेप में **"प्रथम अपीलीय अधिकारी"**)

द्वारा अपील संख्या 26/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में **"काश्तकारी अधिनियम"**) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वादपत्र में अंकित आराजी गांव डाकन कोटडा के बाबत उप जिला कलक्टर, गिर्वा (संक्षेप में **"विचारण न्यायालय"**) के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल चार तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 30–3–2000 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 कूका आदि ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–10–2001 द्वारा अपील स्वीकार कर वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपील संख्या 6131/2010 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा अपील संख्या 20/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–9–2010 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

4. इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या 4 एवं 5 के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत उप जिला कलक्टर गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त वाद को विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2009 के द्वारा रेसजुडिकेटा की परिभाषा में आना मानते हुये खारिज कर दिया। अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–9–2010 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

5. चूंकि दोनों प्रकरणों में वादग्रस्त आराजी समान है, पक्षकार भी लगभग समान हैं एवं विधिक बिन्दु भी समान है। इसलिये दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

7. अपील संख्या 7734/2001 के अपीलार्थीगण कमरूलहक आदि के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का पिता भूतपूर्व सैनिक था। इस कारण उसे भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से वादपत्र में अंकित आराजी का आवंटन किया जाकर कब्जा दिया गया एवं उसके नाम पर नामान्तरकरण संख्या 663 तस्दीक किया गया। वादीगण तब से भूमि पर काबिज चले आ रहे है। भू प्रबन्ध विभाग को खातेदार काश्तकार का नाम हटाकर राजस्व रेकार्ड में विवादग्रस्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का अधिकार नहीं है। केवल मात्र पुराने इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है। प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण का यह कहना कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1316 रकबा 100 बीघा दिनांक 19–9–69 को जागीरदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद

की है, कतई गलत है। वादग्रस्त आराजी 100 बीघा नहीं है। नक्शा ट्रेस जो प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रत्यर्थी प्रतिवादी के जो खसरा नम्बर बताये गये हैं, उनका कुल रकबा 69 बीघा ही बैठता है। नक्शे में प्रत्यर्थी प्रतिवादी के खसरा नम्बरान के आगे की आराजी अपीलार्थी वादीगण की है एवं उनको पासबुक मय नक्शा उसी अनुसार मिली है। दोनों नक्शों की नकलें प्रस्तुत की गई हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट को यह कहकर झुठलाया है कि उस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं। मौके पर दोनों फरीकैन मौजूद थे। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की अगर कोई आराजी कम पड रही है तो उसे अलग से अपना दावा प्रस्तुत कर क्लेम करना चाहिये था। इन्होंने आगे कथन किया कि दावा खसरा नम्बर 1252/1 रकबा 18 बिस्वा, 1314/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 1316/8 रकबा 3 बीघा तथा 1316/9 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के बाबत प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 1316/8 के नये नम्बर 2266 बने तथा खसरा नम्बर 1316/9 के नये नम्बर 2262, 2263, 2264 एवं 2267 बने हैं। नक्शा ट्रेस को अगर देखा जावे तो साफ जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 1316/8 एवं 1316/9 अपीलार्थी के खाते एवं कब्जे में हैं किन्तु बन्दोबस्त विभाग की गलती से इन्हें प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। उनका तर्क है कि आराजी खसरा नम्बर 1252/1 तथा 1314/2 से प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है फिर भी वादी के वाद को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अपने आप में विरोधाभासी है, इसलिये निरस्त योग्य है। इन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थीगण कूका आदि ने उन्हें बिना पक्षकार बनाये विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः वाद संख्या 3/5 प्रस्तुत किया है जो विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मतरूप से खारिज किया गया हैं परन्तु

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 20/2010 निर्णय दिनांक 15.09.2010 द्वारा अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने आगे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2000 द्वारा विधिवत रूप से उनका वाद स्वीकार किया था परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.10.2001 द्वारा अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इन्होंने प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2001 निरस्त करने एवं विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2000 यथावत रखने हेतु अनुरोध किया।

8. अपील संख्या 6131/2010 के अपीलार्थीगण केवला आदि के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष दावा चला था जिसमें कूका आदि प्रतिवादीगण थे व उन्होंने कांउटर क्लेम पेश किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने कांउटर क्लेम खारिज कर दिया जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील में वाद व कांउटर क्लेम खारिज किया गया जिसकी द्वितीय अपील मण्डल में विचाराधीन हैं। कूका आदि की ओर से पुनः प्रस्तुत वाद पर रेस्ज्यूडिकेटा लागू होता था तथा विचारण न्यायालय ने तद्नुसार वाद खारिज कर दिया था परन्तु अपीलीय न्यायालय ने सैटलमेन्ट विभाग से रिपोर्ट लेकर उसी को आधार मानकर निर्णय पारित करते हुए कूका आदि का वाद स्वीकार कर लिया जबकि अपीलीय अधिकारी को आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था जैसा कि न्यायिक दृष्टांत डी एन जे 2015 पेज 170 (एस.सी.), आर बी जे 2011 पेज 163, 210, 250, आर आर टी 2006–07 पेज 4, 429 व आर आर टी 2003 पेज 709 में अवधारित किया गया है। इन्होंने आगे कथन किया कि दोनों पक्ष पूर्व में हुए बटवारे के अनुसार काबिज काश्तकार है तथा ख.नं. 2262 व 2264 पर जग्गा, केवला आदि का कब्जा है ना कि कूका आदि का।

इन्होंने वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर का आदेश दिनांक 15.09.2010 निरस्त किया जाकर उप जिला कलक्टर गिर्वा का आदेश बहाल रखने का निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में ए आई आर 1976 राज0 20, आर आर डी 2000 पेज 132 (एच.सी.), ए आई आर 1971 (एस.सी.) पेज 1676, ए आई आर 2006 राज0 65, सिविल टाईम्स 2005 (2) पेज 555, सिविल टाईम्स 2008 (3) पेज 545, ए आई आर 1997 एच.सी. पेज 808, ए आई आर 1998 गुजरात पेज 141, आर आर डी 2000 पेज 132, सिविल टाईम्स 2011 (2) एच.सी. पेज 514, सिविल टाईम्स 2017 (2) पेज 550, आर एल डब्ल्यू 2008 (3) पेज 2224, आर आर टी 2002 (2) पेज 1754, आर एल डब्ल्यू 2014 पेज 1465, 3584, ए आई आर 1954 एसएयू 93, ए आई आर 1931 पी.सी. 229, ए आई आर 2003 एमएडी 170, ए आई आर 1978 जेएण्डके 102, ए आई आर 1983 जीयूजे 47 एवं ए आई आर 1993 एस.सी. 53 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

9. अपील संख्या 6131/2010 के प्रत्यर्थीगण कूका आदि के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वाद संख्या 169/99 के वादीगण कमरूलहक आदि द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया था जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 थे। वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 1316/8 एवं 1316/9 नक्शे में कहॉ पर पैमूद हैं, जिससे यह साबित होता हो कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2262 से 2267 तक के नम्बर उनसे बने हो, इस तथ्य को वादीगण द्वारा प्रमाणित नहीं कराया है जबकि वास्तविकता यह है कि साबिक नक्शे में वादीगण की आराजी कहीं पर भी पैमूद नहीं है। प्रत्यर्थीगण के खाते की आराजी साबिक नक्शे में पैमूद होकर

रेकार्ड अनुसार चालू बन्दोबस्त में नक्शे में पैमूद की गई है। साबिक एवं हाल नक्शे में हमारी भूमि जहां पर है वहीं दर्शायी गई है। उनका कथन है कि लगभग 100 बीघा भूमि उनके द्वारा दिनांक 19–9–69 को क्रय की गई है। यह नम्बर काफी बडा था जिस पर हमारा कब्जा है। इन्होंने आगे कथन किया कि न्यायालय द्वारा अमीन को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर भूमि की नपती करवाई जिसकी रिपोर्ट कमिश्नर ने पेश की है। कमिश्नर को क्रास में पूछने पर वह यह नहीं बता सका कि साबिक आराजी नम्बर 1316 का कितना रकबा है। जबाब में बताया कि इस नम्बर पर काफी आवंटन हो गया है। अमीन ने लाल तथा काली स्याही के मध्य आराजी खसरा नम्बर 2262 से 2267 तक को दर्शाया है। आराजी खसरा नम्बर 1316/8 तथा 1316/9 नक्शे में पैमूद नहीं है। 1316/5 से बन्दोबस्त में नवीन नम्बरों को बनना बताया है जबकि कमिश्नर ने 1316/8 एवं 1316/9 से गलत बनना बताया है। पूछने पर अमीन ने बताया कि 1316/5 के क्या नम्बर बने यह मैं नहीं बता सकता हूॅ। इस प्रकार नजरी नक्शे से कमिश्नर हमारी भूमि नहीं बता सकता है। इसलिये इस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य में हमारे द्वारा सम्बत 2029–2032 की नकल जमाबन्दी पेश की गई है। हमारे द्वारा भूमि क्रय करने के विक्रय पत्र की नकल पेश की गई है। सम्वत् 2052 से 2055 की नकल, प्रदर्श–7,9,10,11 एवं खसरा मिलान की नकलें पेश की हैं। वादीगण ने मिलान क्षेत्रफल को चुनौती नहीं दी है कि बन्दोबस्त में वर्तमान में गलत नम्बर बना दिये। प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस है जिससे साबित है कि हमारे दक्षिण में वादीगण की भूमि स्थित है। कब्जे के अभाव में खातेदारी घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। कमिश्नर की रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। इन्होंने आगे कथन किया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अपील संख्या 20/2010 में भू प्रबन्ध

विभाग के निरीक्षक से साबिक एवं हाल नक्शे, जमाबन्दी एवं तुलनात्मक मिलानी तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 15–9–2010 पारित किया है जो विधिसम्मत है । इन्होंने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश दिनांक 15–9–2010 को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया । अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1989 पेज 527, 774, आर आर डी 1992 पेज 114, आर आर टी 2017 पेज 1004, ए आई आर 1972 एस सी पेज 2685, ए आई आर 1965 एस सी पेज 1506, आर बी जे 2012 पेज 545 की नजीरें पेश की।

10. प्रत्यर्थीगण संख्या 6 लगायत 12 के विद्वान अभिभाषक ने अपील संख्या 7734/2001 में प्रस्तुत किये गये तर्को को ही बहस के दौरान दोहराया।

11. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

12. अपील संख्या 2001/7734 कमरूलहक बनाम कूका में विचारण न्यायालय के समक्ष कमरूलहक आदि के द्वारा वाद संख्या 169/99 प्रस्तुत किया गया है। वाद में यह कथन किया गया है कि ग्राम डाकन कोटडा का आराजी नम्बर 1252/1, 1314/2, 1316/8, 1316/9 कुल रकबा 15 बीघा उनकी खातेदारी में जमाबंदी में सवंत् 2029–2032 में थी जो उनके पिता को भूतपूर्व सैनिक के आधार पर आवंटित हुई थी। इनका कथन था कि सैटलमेन्ट के दौरान इनका नाम जमाबंदी से हट गया परन्तु वे आज भी अपने कब्जे काश्त के अनुसार काबिज है परन्तु उनके कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 2262 व 2264 प्रतिवादीगण केवला आदि व ख.नं. 2263 प्रतिवादीगण कूका आदि के नाम दर्ज हो गई है। विचारण न्यायालय ने भू प्रबन्ध निरीक्षक के द्वारा मौका निरीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श–8 से 10 के आधार पर यह अवधारित किया है कि नये ख.नं. 2262 से 2267, पुराने ख.नं. 1316/8,

1316/9 से बने है। इसी प्रकार नये ख.नं. 2630 एवं 4055/2313 पुराने ख.न. 1252/1 एवं 1314/2 से बने है। उपरोक्त आधार पर वादीगण कमरूलहक आदि का वाद डिक्री किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–11 जो कि कनवर्ट नक्शा है में ख.नं. 1316/8 व 1316/9 का अंकन नहीं हैं। प्रदर्श–1 जमाबंदी ग्राम डाकन कोटडा सम्वत् 2029–32 में वादीगण के नाम ख.नं. 1252/1, 1314/2, 1316/8 एवं 1316/9 दर्ज है। मिलान खसरा प्रदर्श–3 एवं प्रदर्श–7 में 1316/8 व 1316/9 दर्ज नहीं है परन्तु प्रदर्श–7 से ख.नं. 2262 से 2267 अन्य साबिक खसरा नम्बरान से बनना प्रमाणित है। विचारण न्यायालय ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त ख.नं. पैमूद होना माना है जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 13.07.1999 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसका निस्तारण नहीं किया गया है। मिलान खसरों से वादीगण की भूमि की पैमूदगी नये खसरा नम्बरों में होना प्रमाणित नहीं है परन्तु विचारण न्यायालय ने सैटलमेन्ट विभाग की मौके की नपती रिपोर्ट के आधार पर पैमूदगी मानते हुए निर्णय दिनांक 30.03.2000 द्वारा वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता क्योंकि मिलान खसरा जो कि सैटलमेन्ट विभाग का मूल दस्तावेज है, अधिक महत्वपूर्ण है तथा मात्र मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पैमूदगी प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.10.2001 द्वारा उपरोक्त आधार पर विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज किया है जो विधिसम्मत है।

13. परन्तु यहॉ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रदर्श–1 जमाबंदी ग्राम डाकन कोटडा सम्वत् 2029–32 में वादीगण के नाम ख.नं. 1252/1, 1314/2, 1316/8 एवं 1316/9 दर्ज है तथा यदि सैटलमेन्ट से पूर्व यदि भूमि वादीगण के नाम दर्ज है तो फिर उनके नाम दर्ज भूमि का क्या हुआ, यह बिन्दु अभी भी निस्तारित

नहीं हुआ है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। इस दृष्टिकोण से प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

14. वाद संख्या 169/99 में प्रतिवादीगण कूका आदि द्वारा कांउटर क्लेम में यह कथन किया गया था कि ख.नं. 2262 व 2264 प्रतिवादीगण केवला आदि के नाम गलत दर्ज है जिसकी खातेदारी उन्हें दी जावे। विचारण न्यायालय ने कांउटर क्लेम इस आधार पर खारिज किया है कि यदि विवादित भूमि अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है तो उन्हें विधिवत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि ख.नं. 2262 से 2264 पर यदि प्रतिवादीगण सं. 5 से 7 कूका आदि का अकेलों का कब्जा है तो वे सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है।

15. अपील संख्या 2010/6131 केवला बनाम कूका से संबंधित प्रकरण में कूका आदि द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष 03.01.2005 को केवल आदि व राज्य सरकार को प्रतिवादीगण बनाते हुए वाद संख्या 3/2005 प्रस्तुत किया है तथा इस वाद में ग्राम डाकन कोटडा के ख.नं. 2262 में से 0.1700 है0, ख.नं. 2263 में से 0.1500 है0, ख.नं. 2262 में से 0.1000 है0, 2262 में से 0.1200 है0, 2266 में से 0.1300 है0, ख.नं. 2267 में से 0.1800 है0 एवं मोजा कलडवास की आराजी नम्बर 3423/3434 में से 2550 कुल रकबा 1.1100 है0 भूमि के खातेदारी अधिकार घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित 8 तकनीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.12.2009 द्वारा यह वाद इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रकरण रेस्ज्यूडिकेटा की परिभाषा में आता है। वादीगण कूका आदि द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 20/2010 प्रस्तुत

की गई है जो निर्णय दिनांक 15.09.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर वाद वादी डिक्री किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 16.08.2010 द्वारा निरीक्षक भू प्रबन्ध से साबिक एवं हाल नक्शे, जमाबंदी एवं तुलनात्मक मिलानी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया है जिसकी पालना में रिपोर्ट दिनांक 30.08.2010 प्रस्तुत की गई है तथा अपीलीय न्यायालय ने इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। इस प्रकरण में वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह अन्य खसरा नम्बरों के साथ–साथ खसरा नम्बर 2262, 2263 व 2264 से संबंधित भी है। वादीगण जो कि स्वयं वादी संख्या 169/99 में पक्षकार थे तथा खसरा नम्बर 2262, 2263 व 2264 के संबंध में विवाद था तो पश्चातवर्ती वाद में पूर्ववर्ती वाद के वादीगण कमरूलहक आदि को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी यह तथ्य आया है परन्तु अपीलीय न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने स्तर पर रिपोर्ट लेकर सीधे ही निर्णय पारित कर दिया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की हुई थी। अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि यदि प्रकरण में पुराने नक्शे व नये नक्शे को सुपर इम्पोज करवाया जाना था तो उन्हें इस हेतु पूर्ववर्ती वाद के वादीगण कमरूलहक आदि को पक्षकार बनाकर एवं नक्शों को सुपर इम्पोज करने का निर्देश देकर प्रकरण प्रतिप्रेषित करना चाहिए था ताकि उभयपक्ष को अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो जाता । साथ ही अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय भी पारित नहीं किया है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.09.2010 विधिसम्मत नहीं है।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाद संख्या 169/99 कमरूलहक बनाम जग्गा में प्रदर्श–1 जमाबंदी ग्राम डाकन कोटडा सम्वत् 2029–32 में वादीगण के नाम ख.नं. 1252/1, 1314/2,

1316/8 एवं 1316/9 दर्ज है तथा सैटलमेन्ट से पूर्व यदि भूमि वादीगण के नाम दर्ज है तो फिर वादीगण के नाम दर्ज भूमि का क्या हुआ, यह बिन्दु अभी भी निस्तारित नहीं हुआ है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। इसी प्रकार वाद संख्या 3/2005 कूका बनाम केवला में सैटलमेन्ट के दौरान वादीगण की भूमि में हुई कमी व ख.नं. 2262, 2263, 2264 पर तीनों पक्षों के मध्य विवाद होने की स्थिति है जिसका विधिवत निस्तारण नहीं हुआ है। अतः प्रकरणों में दोनों वादों को समेकित कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु दोनों प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

17. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसरण में दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दोनों वादों को समेकित कर विधि अनुसार नये सिरे से उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। समस्त पक्षकारान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14–10–2019 को पेश हो ।

16. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष